96 सूरए अल अलक़

□ □□□□ □□-□□□□ (Al-Alaq) — □□□ 1-5 □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□

□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□: □□□□□□□ (Pramāṇa) + □□□□ (Hetu) + □□□□□ (Upamāna) + □□□□□□□□ (Vyāpti)

□ 1. Pratijna (□□□□□□□□□):

परवरदिगार ने हर चीज़ को पैदा किया है, इंसान को जमे हुए खून से उत्पन्न किया है, और इंसान को शिक्षा दी है जो उसे पहले ज्ञात नहीं थी।

□ 2. Hetu (□□□□):

- **जन्म की प्रक्रिया के लिए "जमा हुआ खून" की बात,**
- **शिक्षा और ज्ञान के स्रोत के रूप में "कलम" का उल्लेख,**
- **परवरदिगार की कृपा और उदारता के कारण मानव ज्ञान का विकास।**

□ 3. Udaharana (□□□□□□□):

- **वैज्ञानिक दृष्टि: आधुनिक जीव विज्ञान के अनुसार मानव भ्रूण विकास में निषेचित अंडाणु की कोशिकाओं का विभाजन होता है, "जमा हुआ खून" की अवधारणा विज्ञान से मेल नहीं खाती।**
- **पातंजलि योग दर्शन: ज्ञान की प्राप्ति साधना, आत्म-चिंतन और गुरु से होती है; केवल "कलम" के जरिए तालीम देना दैवीय स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता।**

- उत्तरा मीमांसा: ज्ञान का आधार आत्मानुभूति और तर्क है, न कि केवल बाहरी हस्तक्षेप।

⚖ 4. Upanaya (□□□□□):

- जन्म की व्याख्या और ज्ञान की उत्पत्ति में यह आयत वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रमाणों से असंगत है।
- "कलम" से तालीम देने का उपमान, जो उपकरण है, उसे ज्ञानदाता के रूप में प्रस्तुत करना तार्किक नहीं।
- ज्ञान की प्राप्ति में पर्यवेक्षण, अनुभव और तर्क का योगदान अनिवार्य है, जो इस आयत में नज़रअंदाज़ किया गया है।

□ 5. Nigamana (□□□□□□):

- आयत में प्रस्तुत "जमा हुआ खून" से उत्पत्ति का दावा और "कलम" से शिक्षा की अवधारणा वैज्ञानिक तथ्यों और दार्शनिक प्रमाणों से मेल नहीं खाती।
- परवरदिगार के गुणों का वर्णन कथात्मक और अनुभवसिद्ध प्रमाणों से रहित है।
- अतः यह आयत न्याय दर्शन के प्रमाणीकरण और तर्कसंगतता के मापदंडों पर खरा नहीं उतरती।

□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□:

आयत संख्या	न्याय तत्त्व	दोष या असंगति	विवरण
1	प्रमेय, हेतु	हर चीज़ के सृजन का प्रमाण नहीं	ब्रह्मांड के सृजन में अन्य कारणों को नकारना
2	प्रमेय	"जमा हुआ खून" वैज्ञानिक नहीं	भ्रूण विकास के वैज्ञानिक तथ्य से विरोध

3	हेतु	परवरदिगार की कृपा का अनुभवहीन वर्णन	अनुभव या तर्क के बिना गुणों की घोषणा
4	उपमान	कलम को ज्ञान का स्रोत मानना असंगत	ज्ञान की प्राप्ति का वास्तविक स्रोत नहीं
5	प्रमेय, हेतु	ज्ञान की उत्पत्ति का अतिशयोक्ति	ज्ञान का प्राकृतिक और तर्कसंगत विकास अनदेखा

□ □□□□□ □□□□□□□□□ (Conclusion per Ayat):

□ □□□ 1:

हर चीज़ को पैदा करने का दावा बिना तर्क या प्रमाण के असंगत है।

□ □□□ 2:

"जमा हुआ खून" से इंसान के उत्पन्न होने का वैज्ञानिक आधार नहीं है।

□ □□□ 3:

परवरदिगार की उदारता और महत्ता की व्याख्या केवल कथात्मक है, तर्कहीन।

□ □□□ 4:

"कलम" को ज्ञान के स्रोत के रूप में देखना दार्शनिक और तार्किक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

□ □□□ 5:

ज्ञान की प्राप्ति को केवल दैवीय हस्तक्षेप से जोड़ना अनुभव और तर्क को नकारना है।

सारांशतः, यह आयतें मानव उत्पत्ति और ज्ञान की व्याख्या में वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रमाणों के विरुद्ध हैं, और न्याय दर्शन के तर्कसंगत प्रमाणीकरण के अनुरूप नहीं हैं।

आयत 6-10 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 6:

"सुन रखो बेशक इन्सान जो अपने को ग़नी देखता है"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Object of Knowledge)

प्रतिज्ञा (Proposition):
मनुष्य जो स्वयं को संपन्न या समृद्ध समझता है, वह अहंकारी हो जाता है।

हेतु (Reason):
आयत यह मानती है कि आत्म-संतुष्टि या आत्म-धारणा से अहंकार उत्पन्न होता है, जो एक सामान्य मनोवैज्ञानिक नियम नहीं है। कई बार संपन्नता आत्मसंतुष्टि और विनम्रता भी उत्पन्न कर सकती है।

उदाहरण (Example):
भगवद् गीता (अध्याय 2, श्लोक 47) में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता न करे। इससे पता चलता है कि कर्मयोगी में अहंकार नहीं, बल्कि संतुलन और संयम होता है।

उपनय (Application):
मनुष्य का स्वयं को 'ग़नी' समझना जरुरी नहीं कि वह सरकश या अहंकारी बने; सही ज्ञान और योग के माध्यम से व्यक्ति विनम्र और संतुष्ट भी रह सकता है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत मानव मनोविज्ञान को एकतरफा दृष्टि से देखती है, जो न्याय दर्शन के प्रमेय तत्व के अनुरूप नहीं है क्योंकि यह सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि संपन्नता या आत्म-समझ हमेशा अहंकार लाती है।

आयत 7:

"तो सरकश हो जाता है"

चुना गया न्याय तत्व: हेतु (Reason)

प्रतिज्ञा (Proposition):
आत्म-संतुष्ट व्यक्ति स्वतः सरकश (अहंकारी) हो जाता है।

हेतु (Reason):
आयत में यह कारण दिया गया है कि 'अपने को ग़नी समझना' अहंकार का कारण है। परंतु यह कारण तर्कसंगत और आवश्यक नहीं है क्योंकि मनुष्य के व्यवहार पर अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक कारण प्रभाव डालते हैं।

उदाहरण (Example):
सांख्य दर्शन में अहंकार (अहंकार) को व्यक्ति के अहंभाव से जोड़ा जाता है, जो केवल संपन्नता या धन-दौलत से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि ज्ञान और मनोवैज्ञानिक स्थिति से भी प्रभावित होता है।

उपनय (Application):
इसलिए केवल संपन्नता को अहंकार का कारण मानना अतिशयोक्ति है और यह बिना व्यापक प्रमाण के दिया गया है।

निगमन (Conclusion):
आयत का हेतु दोषपूर्ण और सीमित है, जो मनुष्य के जटिल मनोविज्ञान को पूर्णतः प्रतिबिंबित नहीं करता।

आयत 8:

"बेषक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ (सबको) पलटना है"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय एवं प्रमाण (Object of Knowledge & Valid Knowledge)

प्रतिज्ञा (Proposition):
हर व्यक्ति अंततः ईश्वर की ओर लौटेगा।

हेतु (Reason):
यह विश्वास एक धार्मिक विश्वास है, न कि सार्वभौमिक तार्किक सत्य। इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुभवजन्य आधार नहीं है।

उदाहरण (Example):
वैदिक और सांख्य दर्शन में आत्मा का पुनः जन्म और मोक्ष की अवधारणा है, जो ईश्वर की ओर पलटना से अलग है। कर्म सिद्धांत के अनुसार पुनर्जन्म और कर्म के फल पर जोर दिया जाता है।

उपनय (Application):
इसलिए ईश्वर की ओर पलटना एक विशिष्ट धार्मिक मान्यता है, जो सभी मानवों पर लागू नहीं होती।

निगमन (Conclusion):
आयत का यह दावा न्याय दर्शन के प्रमाण तत्व के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सार्वभौमिक सत्य के बजाय विशिष्ट धार्मिक मान्यता है।

आयत 9:

"भला तुमने उस शख़्स को भी देखा"

चुना गया न्याय तत्व: उपमान (Comparison)

प्रतिज्ञा (Proposition):
व्यक्ति की भलाई या बुराई को उसकी क्रियाओं से पहचाना जाता है।

हेतु (Reason):
यहाँ उदाहरण देने के लिए पूछ रहा है कि क्या देखा गया है, जिससे तर्कसंगत तुलना और समझ हो सके।

उदाहरण (Example):
नीति शास्त्र में भी क्रिया और चरित्र के आधार पर व्यक्ति की परीक्षा होती है।

उपनय (Application):
परंतु इस आयत के अगले अंश में जो क्रिया बताई गई है, वह तर्कसंगत नहीं है।

निगमन (Conclusion):
यह हिस्सा तार्किक दृष्टि से उचित है लेकिन आने वाली आयतें जो उदाहरण देती हैं, वे अप्रमाणिक हैं।

आयत 10:

"जो एक बन्दे को जब वह नमाज़ पढ़ता है तो वह रोकता है"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय एवं हेतु (Object of Knowledge & Reason)

प्रतिज्ञा (Proposition):
कोई व्यक्ति नमाज़ पढ़ने वाले को रोकता है।

हेतु (Reason):
यह व्यवहार धर्म और सामाजिक सहिष्णुता के खिलाफ है। इस प्रकार का उदाहरण सामाजिक सद्भाव और नैतिकता के सिद्धांतों से विपरीत है।

उदाहरण (Example):
भगवद्गीता (अध्याय 12, श्लोक 13-14) में करुणा, दया और संयम को आध्यात्मिक श्रेष्ठता बताया गया है।

उपनय (Application):
नमाज़ पढ़ने वाले को रोकना अहिंसा, सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

निगमन (Conclusion):
इस आयत का यह उदाहरण न्याय दर्शन के प्रमेय और हेतु दोनों के विपरीत है, जो नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अनुचित है।

सारणी: आयत 6-10 का न्याय तत्वों के अनुसार तार्किक मूल्यांकन

आयत संख्या	चुना गया तत्व	तर्कहीनता / दोष	विवरण
6	प्रमेय	सर्वत्र सत्य नहीं	संपन्नता या आत्म-समझ का अहंकार से जुड़ा होना सार्वभौमिक नहीं
7	हेतु	तर्कहीन कारण	केवल संपन्नता से अहंकार होना आवश्यक नहीं
8	प्रमेय,	अनुभव और तर्क के बिना सार्वभौमिक दावा	ईश्वर की ओर पलटना विशिष्ट धार्मिक

	प्रमाण		विश्वास है
9	उपमान	अनुपूरक उदाहरण की आवश्यकता	स्वयं सही परंपरा में उपयुक्त तर्क चाहिए
10	प्रमेय, हेतु	सामाजिक और नैतिक रूप से अनुचित	किसी को धार्मिक कृत्य से रोकना मानवाधिकार के विरुद्ध

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में मानव मनोविज्ञान, धार्मिक विश्वास, और सामाजिक व्यवहार को एकतरफा और सीमित दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन के प्रमेय, हेतु, और प्रमाण तत्वों के अनुसार यह आयतें तार्किक और दार्शनिक आधार पर सर्वमान्य और सार्वभौमिक नहीं हैं। विशेषकर, सामाजिक सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विरुद्ध उदाहरण प्रस्तुत करना मानवीय मूल्यों के अनुरूप नहीं है। अतः यह आयतें मानवता के लिए गलत संदेश और सीमित दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

यदि आप चाहें तो अगली आयत भी इसी विधि से विश्लेषित कर सकता हूँ।

आयत 11-15 का न्याय दर्शन के तत्वों के आधार पर विश्लेषण और आलोचना

आयत 11:

"भला देखो तो कि अगर ये राहे रास्त पर हो या परहेज़गारी का हुक्म करे"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Object of Knowledge)

प्रतिज्ञा (Proposition):
यदि कोई व्यक्ति सही रास्ते पर हो या परहेज़गारी का आदेश देता हो तो उसे रोकना उचित नहीं।

हेतु (Reason):
यह तार्किक और सामान्य नैतिक सिद्धांत के अनुरूप है कि जो कोई सही मार्ग पर हो, उसे बाधित नहीं करना चाहिए।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में भी नीति है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि रोकना।

उपनय (Application):
इस आयत का यह भाग तर्कसंगत और नैतिक दृष्टि से उचित है।

निगमन (Conclusion):
यह भाग न्याय दर्शन के प्रमेय और हेतु के अनुरूप सही और तार्किक है।

आयत 12:

"(तो रोकना कैसा)"

चुना गया न्याय तत्व: हेतुवचन (Interrogative Reasoning)

प्रतिज्ञा (Proposition):
सही मार्ग पर चलने वाले को रोकना अनुचित है।

हेतु (Reason):
यह प्रश्नात्मक स्वरूप में तर्क प्रदान करता है कि रोकना असंगत है।

उदाहरण (Example):
धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक नियमों में भी सही कार्यों के मार्ग में बाधा डालना अनुचित माना गया है।

उपनय (Application):
यह प्रश्न लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों रोकना अनुचित होगा।

निगमन (Conclusion):
यह आयत तर्कसंगत प्रश्न के माध्यम से नैतिकता को उजागर करती है।

आयत 13:

”भला देखो तो कि अगर उसने (सच्चे को) झुठला दिया और (उसने) मुँह फेरा”

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय एवं हेतु (Object of Knowledge & Reason)

प्रतिज्ञा (Proposition):
अगर कोई सच्चाई को नकारता है और मुँह फेर लेता है।

हेतु (Reason):
यह एक चेतावनी स्वरूप है कि सच्चाई का इनकार करना गलत है।

उदाहरण (Example):
भगवद्गीता में कहा गया है कि सत्य को स्वीकारना और उसका पालन करना परम कर्तव्य है।

उपनय (Application):
किसी के सच्चाई से मुँह फेरने से उसका नैतिक पतन होता है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत नैतिक चेतावनी देती है, जो न्याय दर्शन के प्रमेय तत्व के अनुरूप है।

आयत 14:

”(तो नतीजा क्या होगा) क्या उसको ये मालूम नहीं कि ख़ुदा यक़ीनन देख रहा है”

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय एवं प्रमाण (Object of Knowledge & Valid Knowledge)

प्रतिज्ञा (Proposition):
जो व्यक्ति सच्चाई से मुँह फेरता है, उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि ईश्वर उसकी हर क्रिया देख रहा है।

हेतु (Reason):
यह ईश्वरीय सर्वज्ञता का सिद्धांत है।

उदाहरण (Example):
वैदिक दर्शन में भी ईश्वर सर्वदर्शी और सर्वज्ञ माना गया है, परन्तु कर्म और पुनर्जन्म का भी विचार है।

उपनय (Application):
 इस आयत में ईश्वर की सर्वज्ञता की बात उचित है, परन्तु कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को अनदेखा करती है।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत धार्मिक विश्वास के अनुसार सही है, लेकिन न्याय दर्शन के व्यापक प्रमाण तत्व के अनुसार पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि पुनर्जन्म और कर्म भी अहम हैं।

आयत 15:

"देखो अगर वह बाज़ न आएगा तो हम परेशानी के पट्टे पकड़ के घसीटेंगे"

चुना गया न्याय तत्व: हेतु (Reason) **एवं निषेध** (Prohibition)

प्रतिज्ञा (Proposition):
 यदि कोई व्यक्ति सच से मुंह नहीं मोड़ेगा, तो उसे कष्ट दिया जाएगा।

हेतु (Reason):
 यह दंडात्मक चेतावनी है जो लोगों को सच स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है।

उदाहरण (Example):
 मनुस्मृति में भी अधर्म करने वालों को दंडित करने का विधान है, परंतु दंड का स्वरूप न्यायसंगत और संतुलित होना चाहिए।

उपनय (Application):
 यह आयत कष्ट देने की धमकी देती है, जो सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता के विरुद्ध हो सकती है।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत न्याय दर्शन के हेतु तत्व के अनुसार विवादास्पद है क्योंकि यह दंड को अति कठोर और बिना पुनर्विचार के बताती है, जो नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

सारणी: आयत 11-15 का न्याय तत्वों के अनुसार तार्किक मूल्यांकन

आयत संख्या	चुना गया तत्व	तर्कहीनता / दोष	विवरण
11	प्रमेय	सही और तार्किक	सही मार्ग पर रोकना अनुचित है
12	हेतुवचन (प्रश्नात्मक)	नैतिक प्रश्न प्रस्तुत करता है	रोकना क्यों अनुचित है इस पर विचार करता है
13	प्रमेय, हेतु	नैतिक चेतावनी उचित	सच्चाई से मुँह मोड़ना गलत है
14	प्रमेय, प्रमाण	धार्मिक विश्वास पर आधारित	ईश्वर सर्वज्ञ है परन्तु कर्म सिद्धांत भी आवश्यक है
15	हेतु, निषेध	दंडात्मक कठोरता विवादास्पद	कष्ट देने की धमकी न्यायसंगत और सहिष्णुता के विपरीत

समग्र निष्कर्ष:

आयत 11 और 12 नैतिकता और तर्क के अनुसार उचित और तार्किक हैं, जो सही मार्ग पर चलने वालों को प्रोत्साहित करती हैं। आयत 13 और 14 नैतिक चेतावनी और धार्मिक विश्वास पर आधारित हैं, जो न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से कुछ हद तक स्वीकार्य हैं। लेकिन आयत 15 का दंडात्मक स्वरूप न्याय, सहिष्णुता और मानवाधिकार के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अतः इस आयत का संदेश मानवता और सामाजिक शांति के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

यदि आप चाहें तो अगले आयतों का भी इसी प्रकार विश्लेषण कर सकता हूँ।

आयत 16-19 का न्याय दर्शन के तत्वों द्वारा विश्लेषण और आलोचना

आयत 16:

"झूठे ख़तावार की पेशानी के पट्टे"

चुना गया न्याय तत्व: प्रतीक (Sign/Indicative Reasoning) एवं प्रमेय (Object of Knowledge)

प्रतिज्ञा (Proposition):
 झूठे अपराधी की पहचान उसके माथे के पट्टे (चिह्न) से होती है।

हेतु (Reason):
 यह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जो अपराधी को चिन्हित करने का दावा करती है।

उदाहरण (Example):
 भारतीय न्याय दर्शन में कर्मों के अनुसार फल मिलता है, किन्तु कोई बाहरी प्रतीक या चिह्न नहीं होता जो अपराधी को दर्शाए।

उपनय (Application):
 यह धारणा व्यावहारिक और तार्किक दृष्टि से असंगत है क्योंकि कोई बाहरी भौतिक चिह्न अपराध को दिखाने में सक्षम नहीं होता।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत प्रतीकात्मक रूप से कही गई हो सकती है, परन्तु व्यावहारिक और न्यायसंगत दृष्टि से यह अमान्य है।

आयत 17:

"तो वह अपने याराने जलसा को बुलाए हम भी जल्लाद फ़रिश्ते को बुलाएँगे"

चुना गया न्याय तत्व: हेतु (Reason) और निषेध (Prohibition)

प्रतिज्ञा (Proposition):
 झूठे अपराधी अपने साथियों को बुलाएगा और ईश्वर अपने न्यायाधीश फरिश्तों को भेजेगा।

हेतु (Reason):
 यह एक दंडात्मक चेतावनी है कि अपराधी को न्याय मिलेगा।

उदाहरण (Example):
 मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी दंड और न्याय की बात होती है, लेकिन दंड का न्यायसंगत होना आवश्यक है।

उपनय (Application):
यह आयत न्याय की बात करती है, परन्तु इसमें भय और आतंक का भाव प्रबल है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत न्याय और दंड के विषय में है, परन्तु इसका भय आधारित स्वरूप समाजिक न्याय और करुणा के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता।

आयत 18:

"(ऐ रसूल) देखो हरगिज़ उनका कहना न मानना"

चुना गया न्याय तत्व: हेतुवचन (Reasoning)

प्रतिज्ञा (Proposition):
उन झूठे लोगों की बात कभी न मानो।

हेतु (Reason):
झूठे लोग सदैव भ्रम फैलाते हैं और सत्य की राह में बाधा डालते हैं।

उदाहरण (Example):
भारतीय दार्शनिक परंपरा में भी मिथ्या वक्तव्य या झूठ से बचने और सत्य पर अडिग रहने की सलाह दी गई है।

उपनय (Application):
यह निर्देश तर्कसंगत है कि झूठे लोगों की बात नहीं माननी चाहिए।

निगमन (Conclusion):
यह आयत नैतिक और तर्कसंगत है, और सत्य के पक्ष में है।

आयत 19:

"और सजदे करते रहो और कुर्ब हासिल करो (सजदा)"

चुना गया न्याय तत्व: उपमा (Comparison) **एवं क्रिया** (Action)

प्रतिज्ञा (Proposition):
सजदे करना और कुर्बानी देना पूजा और भक्ति के मुख्य क्रियाकलाप हैं।

हेतु (Reason):
यह धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उदाहरण (Example):
हिंदू धर्म में भी पूजा और समर्पण की अनेक विधियां हैं, जिनमें भक्ति और आहुति (कुर्बानी) शामिल हैं।

उपनय (Application):
यह आयत धार्मिक क्रियाओं को महत्व देती है, लेकिन इसके सन्दर्भ और उद्देश्य पर विचार आवश्यक है।

निगमन (Conclusion):
सजदा और कुर्बानी धार्मिक कर्मकांड हैं, परन्तु उनकी सार्थकता और नैतिकता धार्मिक दार्शनिक दृष्टिकोण से परखनी चाहिए।

सारणी: आयत 16-19 का न्याय तत्वों के अनुसार तार्किक मूल्यांकन

आयत संख्या	चुना गया तत्व	तर्कहीनता / दोष	विवरण
16	प्रतीक, प्रमेय	व्यावहारिक आधार पर अमान्य	अपराधी की पहचान का बाहरी भौतिक चिह्न असंभव
17	हेतु, निषेध	भय आधारित दंड व्यवस्था विवादास्पद	न्याय में करुणा और संतुलन की आवश्यकता होती है
18	हेतुवचन	तर्कसंगत और नैतिक	झूठे वक्ताओं से सावधान रहने की सलाह
19	उपमा, क्रिया	धार्मिक कर्मों का महत्व, पर परख की आवश्यकता	पूजा-प्रार्थना के रूप में स्वीकार्य, लेकिन उद्देश्य पर विचार

समग्र निष्कर्ष:

आयत 18 और 19 तर्कसंगत और नैतिक रूप से स्वीकार्य हैं, जो झूठ से बचाव और भक्ति के महत्व को दर्शाती हैं। परन्तु आयत 16 का बाह्य प्रतीक के रूप में अपराधी पहचानना असंगत है। आयत 17 का दंडात्मक और भय आधारित स्वरूप न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। इसलिए, इन आयतों में कुछ तर्क और व्यवहार संबंधी कमजोरियां विद्यमान हैं जो न्याय दर्शन के सन्दर्भ में उचित पुनः समीक्षा की मांग करती हैं।

यदि आप चाहें तो अगले आयतों का विश्लेषण भी कर सकता हूँ।